राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांक 143 /जोधपुर/ 2016-17

यह प्रमाणित किया जाता है कि ए० के० शिक्षण, शोध एवं विकास संस्थान, जोधपुर जिला जोधपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज दिनांक 04 माह 10 सन् 2016 को जोधपुर में दिया गया।

04/10/16

(बृजेश कुमार माली)
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
जोधपुर

PHOTO COPY ATTESTED

Notary, PALI

NOTARY GOVERNMENT OF RAJASTHAN

सचिव
ए.के. शिक्षण, शोध एवं विकास संस्थान
जोधपुर

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
PALI (Raj.)

MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
PALI (Raj.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, संस्था पंजीयन, सहकारी समितियां जोधपुर एवं रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर

क्रमांक नाo / उप. रजि. / संस्था पंजीयन / 2016–17 / 475 दिनांक 4-10-16

श्री आनंदाराम सिरवी
अध्यक्ष / सचिव,
ए० के० शिक्षण शोध एवं विकास संस्थान
नन्दकिशोर शारदा नगर, DPS स्कूल के पीछे, पाली रोड
जिला–जोधपुर जोधपुर

विषय–राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था के रजिस्ट्रीकरण के सम्बंध में।

आपकी संस्था / समिति0 का पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 143 / जोधपुर / 2016–17 दिनांक 04 / 10 / 2016 इस पत्र के साथ सलग्न कर भिजवाया जा रहा है;

यहां आपका ध्यान राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 की धारा 4 4क की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आम सभा के 14 दिनों के अन्दर अन्दर निम्न सूचना भिजवाना आवश्यक है:–

1–संस्था / समिति के मांमलो का प्रबंध जिसको सौंपा गया है उस परिषद, समिति या अन्य शाषी निकाय के शासको, संचालको, न्यासियों या सदस्यो के नाम, पते व उनके पेशे की सूचना मय उनके पद के।

2–एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यो के नाम आदि उस वर्ष जिस वर्ष के दौरान (जिस वर्ष की है) समस्त परिवर्तनो को दर्शाया गया हो।

3–संस्था के नियमों विनियमों की एक प्रति तातारिख जो शाषी निकाय के शासको, संचालको, न्यासियों या सदस्यो में से कम से कम तीन के द्वारा प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था / समिति के नियमो विनियमों मे किए गए परिवर्तन की प्रतिलिपी जो उपरोक्त वर्णित रिती से सही प्रमाणित की गई हो ऐसा परिवर्तन करने की तारिख के 14 दिवस की अवधि मे इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्रावधानों की पालना में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध हो जाने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा तथा लगातार भंग होने की दशा मे और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि अपराध के लिए प्रथम अपराध के सिद्ध के पश्चात भंग जारी रहती है तो पचास रूपये प्रति दिन से अधिक नही होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के तहत प्रस्तुत की गई सूचना में या धारा 4 (क) के अधीन रजिस्ट्रार संस्थाए को भेजे गए विवरण पत्र मे या नियमों और विनियमों, उद्देश्यो में जान बूझकर के कोई मिथ्या प्रविष्टि या दोष करता है तो दण्डनीय होगा। अपराध सिद्ध होने पर ऐसा व्यक्ति दो हजार रूपयो तक की राशि से दण्डित हो सकेगा। प्रत्येक परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवावें। इस कार्यालय मे भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय अपनी संस्था / समिति का पंजीयन नम्बर एवं वर्ष अवश्य अंकित करे।

संलग्न– पंजीयन प्रमाण पत्र, संघ विधान पत्र एवं विधान नियमावली।

04/10/16
रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
जोधपुर

सचिव
ए.के. शिक्षण शोध एवं विकास संस्थान
जोधपुर

Notary, PALI

PRINCIPAL
DELHI PUBLIC SCHOOL
PALI (Raj.)

MANAGER
DELHI PUBLIC SCHOOL
PALI (Raj.)